पमसं 69/डी०एल०आर०के/05-07-24

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन-प्रयागराज उत्तर प्रदेश

21

कंप्यूटरीकृत संख्या :- 202317500892005164

आवेदक का नाम :- विदेशी व अन्य

अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 05/07/2024

अनुज्ञा

कृपया श्री विदेशी पुत्र शंकर लाल व राम कुमार पुत्र लखन लाल व माधव सरन पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम अरैल परगना अरैल तहसील करछना जनपद प्रयागराज द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 धारा 98 के अन्तर्गत आॅन लाईन कंप्यूटरीकृत संख्या 202317500892005164 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया है। आवेदक अनुसूचित जाति का है तथा मौजा अरैल उपरहार व परगना अरैल तहसील करछना जनपद प्रयागराज की फसली वर्ष 1429-1434 खाता संख्या 00443 के गाटा संख्या 541 रकबा 0.3420हे0 में से रकबा 0.2090हे0 भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किये जाने हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र की जांच उप जिलाधिकारी करछना जनपद प्रयागराज से करायी गयी। उप जिलाधिकारी करछना जनपद प्रयागराज की आख्या दिनांक 28.05.2024 के आधार पर विक्रेता अपनी भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को करना चाहता हैं। आवेदकगण को दिनांक 31.05.2024 को तहसील की आख्या दिया गया। आवेदकगण द्वारा प्राप्ति का हस्ताक्षर बनाया गया। विक्रेता/क्रेता का बयान दिनांक 10.06.2024 को दर्ज किया गया। जो संलग्न पत्रावली है। विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि आकार पत्र 41, 45 संलग्न है। उपरोक्त भूमि खसरा 1320फ0 में तालाब व सार्वजनिक भूमि अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं तहसील आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि विक्रय से प्राप्त धनराशि से मौजा पालपुर, परगना अरैल तहसील करछना जनपद प्रयागराज में गाटा संख्या 653क रकबा 0.1075हे0 व गाटा संख्या 655/2 रकबा 0.0510हे0 व गाटा संख्या 655/3 रकबा 0.0515हे0 व गाटा संख्या 655/2 रकबा 0.0510हे0 व गाटा संख्या 655/3 रकबा 0.0515हे0 कुल 3 गाटा रकबा 0.2100हे0 भूमि प्रथम पक्ष धारा निषाद पुत्र लालजी निषाद निवासी म0नं0 11 मल्लाहन टोला झूसी जनपद प्रयागराज से द्वितीय पक्ष श्री विदेशी पुत्र शंकर लाल व राम कुमार पुत्र लखन लाल व माधव सरन पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम अरैल परगना अरैल तहसील करछना जनपद प्रयागराज द्वारा क्रय करने हेतु इकरारनामा करवाया है। संलग्न इकरारनामा उप निबन्धक करछना द्वारा दिनांक 15.09.2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। क्रय की जाने वाली भूमि के रजिस्टर्ड इकरारनामें में मु0-20,000/रू0 का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के नियमावली 2016 के नियम 99(8)(ग) में यह व्यवस्था दी गयी है कि "आवेदक प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल से किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिये ऐसे प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा की मांग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार की सत्यापित प्रति से समर्थित हैं, तो वह इस धारा के अन्तर्गत अन्तरण कर सकता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में आवेदक उपरोक्त को मौजा अरैल उपरहार व परगना अरैल तहसील करछना जनपद प्रयागराज की फसली वर्ष 1429-1434 खाता संख्या 00443 के गाटा संख्या 541 रकबा 0.3420हे0 में से रकबा 0.2090हे0 भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के पक्ष में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के नियम 99(8)(ग) के अन्तर्गत भूमि विक्रय किये जाने की अनुज्ञा इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि भूमि का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। विक्रय की जाने वाली भूमि का सर्किल रेट के अनुसार प्रतिफल विक्रेता के बैंक खाते में अनिवार्य रूप से जमा किया जायेगा। यदि विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि किसी न्यायालय द्वारा विवादित, पट्टा, सीलिंग, नजूल, तालाब आदि की सरकारी भूमि घोषित की जाती है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इस आदेश के आधार पर की गयी समस्त कार्यवाही भी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगी। इसके साथ ही यदि विक्रेता के स्वामित्व के विरूद्व किसी सक्षम न्यायालय में आदेश पारित होता है तो यह आदेश उस आदेश के अधीन होगा। आदेश की एक प्रति उप निबंधक करछना जनपद प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

Digitally Signed by:
POOJA MISHRA
अपर जिलाधिकारी, प्रशासन-प्रयागराज
दिनांक समय: 05-07-2024 04:56:34 PM